कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली (राज.)

कमांक– आदेश/रिमाण्ड/ 24 **दिनांक– 21.03.2025**

रिमाण्ड डयूटी बाबत आंशिक संशोधित कार्यालय आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–12 सपठित धारा–13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं देवेन्द्र कुमार, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली (लिंक अधिकारी) श्री मयंक पालीवाल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोडाभीम के अवकाश पर होने से माह मार्च 2025 की रिमाण्ड डयूटी बाबत पूर्व में जारी आदेश कमांक रिमाण्ड/20 दिनांक 25.02.2025 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करते हुए आदेश पारित करता हूँ कि करौली जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य के लिए कॉलम संख्या–2 में अंकित पीठासीन अधिकारीगण को निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है:–

माह मार्च 2025

क.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	डयूटी की दिनांक
01	02.	03.	04
01	**श्री देवेन्द्र कुमार RJS**	**अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली**	**22 मार्च 2025**
02	**सुश्री लक्षिता सूत्रकार RJS**	**अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली**	**23 मार्च 2025**

नोट :– उक्तांकित दिनांक की रिमाण्ड डयूटी के अलावा इस कार्यालय का पूर्व आदेश कमांक रिमाण्ड/20 दिनांक 25.02.2025 यथावत रहेगा।

निर्देशः–

1. अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
2. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के अगले दिन राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व दिवस के लिए नियत किए गए थे।
3. नियत किए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली

कमांक– 391 से 398 दिनांकः– 21.03.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, करौली ।

2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक करौली को वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र

3. संबंधित अधिकारी सर्व श्री देवेन्द्र कुमार/ श्री मयंक पालीवाल/ सुश्री लक्षिता सूत्रकार

4. सिस्टम अधिकारी करौली को इस निर्देश के साथ कि सभी अधिकारीगण की मेल आई डी पर आदेश भिजवावे एवं जिला न्यायालय करौली की बेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।

5. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, करौली।

6. आदेश पत्रावली /नोटिस बोर्ड

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली